

न्यायालय-नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक-क्यू./सी.जे.एम./2025

रायगढ़, दिनांक 05.07.2025

आंशिक संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 653/1-8-6/2001 (Pt V)/Confdl./2025 बिलासपुर दिनांक 23.06.2025 के द्वारा श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का स्थानांतरण होने से, व्यवहार न्यायालय तहसील खरसिया में पदस्थ श्रीमती मीनाक्षी नाग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संतान पालन अवकाश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ में पदस्थ श्रीमती भावना नायक ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मातृत्व अवकाश पर माह जुलाई में प्रस्थान करने की सूचना प्राप्त होने से कार्य की सुचारु संपादन हेतु मैं नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.) धारा 12(1) एवं 13(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 01.04.2025 (1) कार्य विभाजन के क्रमांक 02, 04, 06, 07, 12, 13 के कॉलम 03 (आरक्षी केन्द्र) एवं कॉलम 04 (कार्यविभाजन एवं उसका क्षेत्र) में संशोधन एवं उसके पश्चात् क्रमांक 15 को जोड़ते हुए संशोधन तथा पृष्ठ क्रमांक 11 परिशिष्ट ए (अनुपस्थिति की दशा में) कार्य विभाजन के क्रमांक 07 को विलोपित करते हुए कॉलम क्रमांक 03 के समस्त क्रमांक पर जहां-जहां श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम लिंक कोर्ट के रूप में अंकित है को विलोपित करते हुए, नवीन क्रमांक 15 को जोड़ते हुए संशोधन, (4) एन डी पी एस में तौल एवं सीलबंद की कार्यवाही के बिंदु क्रमांक 02 में अनुपस्थिति की दशा में कार्य संपादन करने वाले मजिस्ट्रेट की सारिणी में श्री निलेश जगदल्ला का नाम विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन करते हुए आंशिक संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश पारित करती हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायगढ़ (छ.ग.) के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा एवं शेष पूर्व दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुसार यथावत रहेगा।

(1) कार्य विभाजन

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	आरक्षी केंद्र	कार्य विभाजन एवं उसका क्षेत्र
02	श्री प्रवीण मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	चक्रधरनगर	1. जिला मुख्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आपराधिक प्रकरण संस्थित एवं निराकरण करना। 2. थाना चक्रधरनगर (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना। 3. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।
04	श्रीमती भावना नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़		1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।
06	श्री प्रतीक टेम्बुरकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	कोतरारोड	1. थाना कोतरारोड (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, जमानत, खात्मा की कार्यवाही करना। 2. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

			<u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
07	श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़		न्यायालय रिक्त
12	कु० मृणालिनी कातुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	01. खरसिया 02. चौकी खरसिया 03. चौकी जोबी 04. आबकारी वृत्त खरसिया जिला रायगढ़ 05. वन विभाग खरसिया 06. भूपदेवपुर	01. जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्थापित आरक्षी केन्द्र खरसिया, चौकी खरसिया, चौकी जोबी एवं भूपदेवपुर के संपूर्ण मामले, वन विभाग खरसिया एवं भूपदेवपुर क्षेत्र से उद्भूत समस्त आपराधिक अभियोग पत्र, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण, सुपुर्दनामा, उपार्पण, रिमाण्ड की कार्यवाही एवं निराकरण करना। 02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techiques (Prohibition of Sex Seletction) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण प्रकरण का निराकरण करना। 03. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 04. अपने थाना क्षेत्र से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण एवं निराकरण करना। 05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरणों का निराकरण करना। 06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना। 07. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 08. अपने थाना क्षेत्र के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 09. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरणों

			का निराकरण करना। 10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
13.	श्रीमती मीनाक्षी नाग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)		01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
15.	कु. पुनीत समीक्षा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)		01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। <u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>

//परिशिष्ट ए//

अनुपस्थिति की दशा में:-

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद
07.	श्री निलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	न्यायालय रिक्त
15.	कु. पुनीत समीक्षा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री प्रतीक टेम्भुरकर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री अजय लकडा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

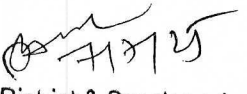
टीप- अनुपस्थिति की दशा में कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के परिशिष्ट में न्यायालय श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का स्थानांतरण होने से एवं न्यायालय रिक्त होने से नाम विलोपित किया जाता है।

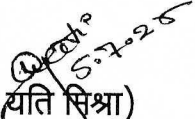
(4) एनडीपीएस एक्ट में तौल एवं सीलबंद की कार्यवाही -

1. एनडीपीएस एक्ट में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ के नमूने की शुद्धता के प्रमाणीकरण सैम्पल, फोटोग्राफ्स, तौल एवं सीलबंद की कार्यवाही के संबंध में श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के स्थानांतरण होने से एवं न्यायालय रिक्त होने से नाम विलोपित किया जाता है।

नोट - शेष पूर्व दायित्व कार्य विभाजन आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुसार यथावत रहेगा।

अनुमोदित


Principal District & Sessions Judge
Raigarh (C.G.)


(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक क्यू./सी.जे.एम./2025
प्रतिलिपि प्रेषित:-

रायगढ़, दिनांक 05/07/2025

01. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी.(POCSO) रायगढ़/सारंगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
02. श्रीमान् द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/छठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रायगढ़/सारंगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़/घरघोड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़/घरघोड़ा/खरसिया/धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ।
07. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं रायगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारी को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
08. उप संचालक जिला अभियोजन, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. वन मण्डलाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ।
11. प्रभारी, जिला परिवहन/परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़ को सूचनार्थ।
12. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ एवं तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा/खरसिया/धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
13. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़।
14. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़।
15. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

16. कार्यालय लिपिक नजारत/अभिलेखागार/ग्रंथालय/प्रतिलिपि/पंजीयन शाखा को सूचनार्थ।
17. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रायगढ़

दिनांक- 05.07.2025

अनुसोदन
पश्चात् (नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)